न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः आर. के. मीना, अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 17/2016, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. **गैर सायल घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा।**

<u>कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975</u>

उपस्थिति : लोक अभियोजक –राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: अधिवक्ता गैर सायल श्री राजेन्द्र जांगिड उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 29.06.2022

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष **निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा का रहने वाला है। गैर साय**ल के विरूद्ध पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा में निम्नलिखित मुकदमे दर्ज हैः–

1. मु. नं. 243/2000 धारा 323, 341 आईपीसी राजीनामा दिनांक 11.12.2001
2. मु. नं. 356/01 धारा 13 आरपीजीओ सजा
3. मु.नं. 282/03 धारा 13 आरपीजीओ सजा दिनांक 6.9.2003
4. मु.नं. 259/04 धारा 13 आरपीजीओ सजा दिनांक 24.7.2004
5. मु.नं. 17/05 धारा 13 आरपीजीओ सजा
6. मु. नं. 212/05 धारा 13 आरपीजीओ सजा दिनांक 29.6.2009
7. मु. नं. 278/11 धारा 13 आरपीजीओ सजा दिनांक 8.9.2011
8. मु. नं. 254/12 धारा 13 आरपीजीओ सजा दिनांक 10.12.2012
9. मु. नं. 103/16 धारा 13 आरपीजीओ सजा दिनांक 21.5.2016
10. मु. नं. 167/16 धारा 13 आरपीजीओ सजा दिनांक 20.7.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त शख्स घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा सार्वजनिक स्थानो पर सट्टे की खाईवाली एवं दंगा मारपीट करने का अभ्यस्थ है। जो अवैध **आर्थिक लाभ हेतु लोगो को धमकियां देने मारपीट करने व सम्पत्ति का नुकसान की चेतावनी देने व** नुकसान करने का अभ्यस्थ है। जिसको यह लत बचपन से ही गलत संगत व शोरत व्यक्तियों की संगत में रहने से लग गई। उक्त शख्स घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत कर जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जांगिड उपस्थित आये। अधिवक्ता गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा का रहने वाला है। जो सार्वजनिक स्थानो पर सट्टे की खाईवाली एवं दंगा मारपीट करने का अभ्यस्थ है एवं अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगो को धमकियां देने मारपीट करने व सम्पत्ति का नुकसान करने की चेतावनी देने व नुकसान करने के अपराध में लिप्त रहता है। गैर सायल बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति का नवयुवक व्यक्ति है। जिसकी थाना मानपुर इलाके में व आस–पास के इलाके में दहशत फैली हुई है व उक्त व्यक्ति के खिलाफ लोग कोई छोटी–मोटी वारदात की रिपोर्ट देने से भी कतराते है तथा उक्त व्यक्ति का नाम पता बताने व गवाही देने से भी लोग डरते है। गैर सायल घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा के विरूद्ध थाना मानपुर में धारा 323, 341 आईपीसी के तहत एक मुकदमा दर्ज है एवं धारा 13 आरपीजीओ के तहत 9 मुकदमे दर्ज होकर विभिन्न अपराधों में सजा हो चुकी है। गैर सायल अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। गैर सायल घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध किसी गम्भीर किस्म के केसेज दर्ज नहीं किये गये है केवल मात्र धारा 13 आरपीजीओ के केसेज है। जिसमे गैर सायल को न्यायालय द्वारा दण्डित कर सजा भी कर दी गई है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरण काफी पुराने हो चुके है। इसके बाद प्रार्थी के खिलाफ कोई मुकदमात दर्ज नहीं हुये है ना ही विचाराधीन है। प्रार्थी कोई हिस्ट्रीशीटर व्यक्ति नहीं है। इन मुकदमात से प्रार्थी के खिलाफ कोई गम्भीर जुर्म प्रमाणित नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज उक्त मुकदमे गुण्डा एक्ट की परिभाषा में नहीं आते है। प्रार्थी बहुत ही गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है जो बमुश्किल अपना व अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रोप व समाप्त करने की कृपा करे।

बहस लोक अभियोजक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा पर विगत वर्षो में धारा 323, 341 आईपीसी के तहत एक मुकदमा दर्ज है एवं धारा 13 आरपीजीओ के तहत 9 मुकदमे दर्ज होकर इन मुकदमो में गैर सायल को सजा हो चुकी है। गैर सायल घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा में सार्वजनिक स्थानो पर सट्टे की खाईवाली एवं दंगा मारपीट करने में सक्रिय रूप से लिप्त होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल घनश्याम पुत्र श्री छाजूराम जाति ब्राह्मण उम्र 36 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा को दिनांक 01.07.2022 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल **महवा जिला दौसा के रास्ते होते हुए थाना हिण्डौन जिला करौली पहुंचेगा तथा अपनी** उपस्थिति थानाधिकारी हिण्डौन जिला करौली को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र **हिण्डौन जिला करौली में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना हिण्डौन जिला** करौली के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं करौली को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official